उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

यूपीएसआईडीसी काम्प्लेक्स,
ए–1/4, लखनपुर,
कानपुर–208024
फोन नं0 0512–2582851–53(पीबीएक्स),
फैक्स : 0512.2580797
वेबसाईट–www.onlineupsidc.com
जी.एस.टी. न0–09AAACU1759KIZZ

संदर्भ सं0 6080-81 /यूपीसीडा/औ0 क्षे0/ ई-आक्शन, आवंटन दिनांक 13.03.2020

## कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की दिनांक 26.11.2019 को सम्पन्न 34वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्राधिकरण के अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्र जहाँ पर कुल आवंटन योग्य भूखण्डों के सापेक्ष 75 प्रतिशत अथवा अधिक भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है, में समस्त भू उपयोगों के आवंटन योग्य समस्त भूखण्डों का आवंटन ई–आक्शन पद्धति से किया जाना है।

उपरोक्तानुसार भूखण्डों के आवंटन प्रक्रिया को सुचारु रूप से सम्पादित कराये जाने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:–

| | |
|---|---|
| अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी | अध्यक्ष |
| वित्त नियंत्रक | सदस्य |
| महाप्रवन्धक(अभियन्त्रण) | सदस्य |
| सम्बन्धित क्षेत्रों के प्रभारी(एटीपी) | सदस्य |
| सम्बन्धित क्षेत्रों के प्रभारी(औ0क्षे0) | सदस्य सचिव |
| सम्बन्धित वरि0 प्रवन्धक(सिविल) | सदस्य |
| सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रवन्धक | सदस्य |

प्राधिकरण के समस्त औद्योगिक विकास क्षेत्रों में भूखण्डों के ई–आक्शन पद्धति द्वारा आवंटन के सम्पादन हेतु उपरोक्त समिति द्वारा निम्नवत् कार्य निष्पादित किये जायेगे:–

1. प्राधिकरण की सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आक्शन पोर्टल एवं प्रक्रिया के सन्दर्भ में सर्वर के आडिट की कार्यवाही।
2. आक्शन पद्धति से आवंटन के फीडबैक के आधार पर आक्शन पोर्टल एवं प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार संशोधन सम्बन्धी कार्यवाही।
3. प्राधिकरण की सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराई विशेषज्ञ टीम के कार्यो का अनुश्रवण।
4. प्राधिकरण की सेवा प्रदाता संस्था के हेल्प डेस्क में प्राप्त सुझावों/आपत्तियों का निराकरण।
5. प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों में ई–आक्शन पद्धति से आवंटन हेतु भूखण्डों का समूहवार चयन व आक्शन हेतु उपलब्ध कराये जाने की समय–सारिणी।
6. प्राधिकरण के ई–आक्शन पद्धति से आवंटन हेतु चयनित भूखण्डों के केटलाग में भूखण्ड के विवरण एवं आवंटन के नियम व शर्तो की समीक्षा एवं अन्तिमीकरण।
7. प्राधिकरण के चयनित सेवा प्रदाता द्वारा ई–आक्शन पद्धति से आवंटन हेतु प्राप्त प्रस्तावों के केटलाग में निर्धारित प्रपत्रों के स्क्रूटनी रिर्पोट व स्पष्टीकरण को स्वीकार/अस्वीकार करने हेतु सम्बन्धित प्रभारी(औ0क्षे0) तथा क्षेत्रीय प्रवन्धक/परियोजना अधिकारी को केटलाग/आक्शन पोर्टल में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

13/3/2020
(अनिल गर्ग)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
o/c

संदर्भ सं0 6080-81 /यूपीसीडा/औ0 क्षे0/ई–आक्शन, Allotment दिनांक 13.03.2020

1. समस्त सदस्यगण,
2. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/निर्माण खण्ड, यूपीसीडा
3. गार्ड फाईल।

13/3/2020
(अनिल गर्ग)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
o/c